

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश
(पंजीयन भवन, पुरानी विधान सभा के सामने, भोपाल-462003)

क्रमांक 4533/तकनीकी/2014
प्रति,

भोपाल, दिनांक 20 अक्टूबर 2014

समस्त वरिष्ठ जिला पंजीयक/
समस्त जिला पंजीयक
मध्यप्रदेश

विषय - लोक कार्यालय - उद्योग विभाग के कार्यालयों के निरीक्षण बाबत।
-0-

प्रदेश के जिला पंजीयकों की बैठक दिनांक 12.09.2014 में प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि उद्योग विभाग के कार्यालयों में विभिन्न उद्योगों की स्थापना तथा उनके अंतरण से संबंधित प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों का निरीक्षण कर कमी शुल्क के प्रकरणों का पता लगाया जाए तथा उन पर बकाया शुल्क वसूल करने की कार्यवाही की जाए। आपके द्वारा इस संबंध में की गई कार्यवाही से एक माह के अंदर इस कार्यालय को अवगत कराया जाए।

2. वस्तुतः अधिकतर प्रकरणों में कर अपवचन विधि की अज्ञानता की वजह से होता है, अतः अपने जिले के उद्योग विभाग के स्थानीय अधिकारियों के सतत सम्पर्क में रहकर स्थापित होने वाले नवीन उद्योगों की भी सतत जानकारी लेते रहें, तथा निष्पादित किए जाने वाले दस्तावेजों पर स्ताम्प शुल्क की प्रभार्यता के संबंध में उद्योग विभाग के अधिकारियों को अवगत कराते रहें।

Dipankar Jaiswal

.महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 20 अक्टूबर 2014

पृष्ठांकन क्रमांक 4533/तकनीकी/2014
प्रतिलिपि -

1. प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक पंजीयन, मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

M

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश